न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी-3277/2018/विदिशा/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

भूपत सिंह पुत्र - दुर्ग सिंह आयु - 20 वर्ष नि० देयरपुर - तह- ग्यासपुर - जिला - विदिशा म.प्र.

——निगरानीकर्ता/आवेदक

श्री अरशद अली द्वारा आज 29.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 29/5/18

बनाम

प्रदीप कुमार - पुत्र मोहन - आयु 27 वर्ष नि० देयरपुर - तह- ग्यासपुर जिला - विदिशा म.प्र. —गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2018 न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील ग्यारसापुर के राजस्व अपील प्रकरण 50/अपील/2017–18 व उन्वान प्रदीप कुमार पिता मोहन बनाम भूपत सिंह पिता दुर्ग सिंह में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता /आवेदक का आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण

1. यहकि गैर निगरानीकर्ता अर्थात् अनावेदक प्रदीप कुमार पिता मोहन द्वारा एक अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष 27.02.2017 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा 44 के अधीन अपील की गई। विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय ग्यासपुर द्वारा ग्राम देयरपुर के नामांतरण पंजी क्रमांक 10 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2013 से दुखित होकर प्रस्तुत की गई।

2. यहकि, भूपत सिंह निगरानीकर्ता की ग्राम देयरपुर तहसील ग्यासपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/1 रकवा 1.534 हैक्टेयर व भूमि सर्वे क्रमांक 72/1 रकवा 0.970 हैक्टेयर भूमि का भूमि स्वामी भू–अभिलेख में दर्ज है।

3. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त अपील में वर्णित भूमियों गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक से विधिवत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 26.04.2013 को क्रय की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3277/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरशद अली उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.05.2013 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.02.2017 को विलंब से अपील पेश की गई साथ ही धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों के तर्कों के सूक्ष्म परिसीलन उपरांत धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	